

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु अंतर-राज्यीय समितियाँ

[स्रोत: द द्रिष्टि](#)

केंद्र और राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों और सचिवों ने [श्रम सुधारों](#) और श्रमिक कल्याण पर प्रमुख चर्चा की।

- इसमें [नई श्रम संहिताओं](#) के कार्यान्वयन एवं [सामाजिक सुरक्षा कवरेज](#) के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- [पाँच-पाँच राज्यों](#) की [तीन समितियों](#) द्वारा श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा हेतु एक [स्थायी मॉडल](#) विकसित किया जाएगा, जिनकी रिपोर्ट मार्च 2025 तक आना प्रस्तावित है।
- एक प्रमुख श्रम सुधार में अनुपालन बोझ को कम करने और [व्यापार करने में सुगमता](#) को बढ़ाने के लिये श्रम [नरीक्षक मॉडल](#) से [नरीक्षक-सह-सुवधाकर्त्ता मॉडल](#) को [स्थानांतरित](#) करने का प्रस्ताव किया गया।
- इसने [नरिमाण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा](#) और [पेंशन योजनाओं](#) के लिये [उपकर नधियों](#) का उपयोग करने के लिये [सतत् मॉडल](#) की आवश्यकता पर बल दिया।
 - [नरिमाण श्रमिकों](#) के कल्याण को प्राथमिकता दी गई, तथा 70,744.16 करोड़ रुपए की [अपरयुक्त उपकर नधि](#) पर चर्चा व्यक्त की गई।
- सरकार [गति और प्लेटफॉर्म श्रमिकों](#) के लिये एक [समर्पित सामाजिक सुरक्षा योजना](#) पर भी काम कर रही है, जिसमें [वर्तित पोषण](#), [डेटा संग्रह](#) और [ई-श्रम पोर्टल](#) पर [पंजीकरण](#) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

और पढ़ें: [भारत में श्रम सुधार](#)